राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर - 3

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय .... स्थान ....

.... विरुद्ध ....

वादी बनाम ....

वाद सं0 .... सन् ....

बनाम .... पुत्र .... जाति ....

स्थान ....

.... ने आपके विरुद्ध .... के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख .... माह .... सन् .... को दिन में .... बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसजात (हाजिर) होने के लिये बचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता0 .... माह .... सन् .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। 2 16

न्यायाधीश

1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिये विवश करने के लिये और ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जिसे पेश कराने के लिए साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, सम्मन द्वारा न्यायालय में आवेदन करके आवश्यक खर्चे की रकम जमा कराके ले सकते हैं।
2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि दावे के खर्चे के साथ इस दावे का धन न्यायालय में जमा करावें जिससे कि किसी का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरुद्ध न करना पड़े।

खनीपुरा तह0 चौमूं, जिला जयपुर